कार्यालय : प्रभाराधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), बांसवाड़ा

विज्ञप्ति

क्रमांक : स्था./2014/ दिनांक : 15.07.2014

बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में वाहन चालक के एक अस्थाई रिक्त पद व एक संभावित पद, जो अपर जिला एवं सेशन न्यायालय/पूल वाहन हेतु सृजित होने की संभावना है, पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड–पीबी–1– 5200–20200 + 2400 रूपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार के परिपत्र एफ–1 (2) एफ.डी. रूल्स/2006 दिनांक 13.03.06 के अन्तर्गत दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन/प्रशिक्षणार्थी के रूप में एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.14(1)FD (Rules)/2013-II Jaipur, Dated 28.06.2013 के अंतर्गत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 7900/– रूपये प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित नियत पारिश्रमिक पर भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते है। उक्त पदों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण से भी भरा जा सकता है। जिससे रिक्त पदों की संख्या प्रभावित हो सकती है। **वाहन चालक के उक्त रिक्त पद राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ.13 (20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 16.06.2013 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र (बांसवाड़ा जिले) के स्थानीय अभ्यर्थी के लिए होकर अनारक्षित श्रेणी के हैं। बांसवाड़ा जिले के स्थानीय अभ्यर्थी की अनुपलब्धा की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों से निर्धारित कैटेगरी के अभ्यर्थियों से रिक्तियां भरी जा सकती हैं।** उपरोक्त पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के लिये निम्नलिखित आवश्यक योग्यताऐं अपेक्षित है तथा इन पर निम्न शर्ते लागू होगी :–

01. राष्ट्रीयता :–

आवेदक भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो।

02. आयु :–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा में–

a) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा को 10 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

c) रिजर्व सैनिक अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

d) कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

e) ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी या अस्थाई हैसियत में पहले से सेवा कर रहे हैं, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

f) ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

g) ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धी के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

h) भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।

i) विधवाओं, विछिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह (तलाक) के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

03. शैक्षणिक योग्यता :—

वाहन चालक के पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी पढ़ने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।

04. दक्षता :—

वाहन चालक के पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के पास भारी तथा हल्का वाहन चलाने का वैध तथा प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को वाहन चलाने का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है।

05 चरित्र :—

a) आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसके सेवा में नियोजन के लिये अर्हित करे। आवेदक को अपने चरित्र के संबंध में ऐसे दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार न हो।

b) प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में अंकित करेगा।

06. शारीरिक व चालक की अन्य योग्यताऐं :—

a) आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिये। जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि आवेदक का इस पद के लिये चयन कर लिया जावे तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा—प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

b) आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये।

c) आवेदक की दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा के 6 बाई 6 होनी चाहिये।

d) आवेदक को मार्ग में वाहन की मरम्मत की जानकारी, वाहन चालन में दक्षता होनी चाहिये तथा वाहन का साधारण तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है।

07. संतान सम्बन्धी सूचना :—

ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान हों, वो आवेदक राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रारूप में शपथपत्र (10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

08. विवाह पंजीयन :—

विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करेंगे तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22.05.2006 या उसके पश्चात् हुआ है वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश करेंगे तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित अभ्यार्थी तथा अविवाहित अभ्यर्थी नीचे अंकित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करेंगे।

09 पेंशन योजना :—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ. 15 (7) एफ. डी. (रूल्स)97 दिनांक 14.01. 2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या : एफ.12 दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत इस पद पर नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले आवेदक पर नवीन

अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटैन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण के सभी नये नियम लागू होंगे।

10. आवेदन पत्र :–

आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखनी में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 13 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न करने होगें। आवेदन पत्र पर आवेदक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो भी लगाना होगा तथा आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

11 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :–

आवेदन पत्र **दिनांक 07.08.2014 को शाम 5.00 बजे तक** प्रभाराधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा) के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिये। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति से पूर्व में प्राप्त एवं इस विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

12. साक्षात्कार एवं जोड़ (ट्रेड) टेस्ट :–

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जावेंगे उन **आवेदकों की सूची दिनांक 18.08.2014** को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। योग्य आवेदकों के **साक्षात्कार व टेस्ट दिनांक 31.08.2014** को लिये जावेंगे। स्थान बाबत् सूचना पृथक से कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक पाये जाने पर साक्षात्कार व टेस्ट आगामी दिवस को लिया जायेगा जिसकी सूचना योग्य अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन में अंकित की जायेगी। इसकी सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी तथा न ही इस साक्षात्कार व टेस्ट के लिये उपस्थित होने हेतु किसी आवेदक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय होगा। उपरोक्त साक्षात्कार व टेस्ट तिथि व स्थान में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार व टेस्ट तिथि के एक दिन पूर्व इसकी सूचना ''कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा '' के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी और इसकी जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेवारी आवेदक स्वयं की होगी व इस बाबत् आवेदक को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। आवेदक जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे, उन सभी मूल प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवे।

13. आवेदन पत्र के साथ पेश किये जाने वाले वांछित मूल प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि :–

आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां एवं शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :–

1. जन्म तिथी संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
3. अनुसूचित जनजाति परियोजना क्षेत्र (टीएसपी एरिया) के अन्तर्गत बनाये जा रहा विशेष मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र।
4. ड्राईविंग लाईसेंस की सत्य प्रतिलिपि।
5. आयु सीमा में छूट चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग के आवेदक आदि के जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
6. छह माह की अवधि के अंदर के दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हो।
7. दोषसिद्धि नहीं होने आदि के बारे में शपथ पत्र।
8. विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत् आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में शपथपत्र।
9. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप–6 में शपथ पत्र।
10. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी के मामले में विभागाध्यक्ष की स्वीकृति।

11. आवेदक का वाहन चालन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होने व उसकी दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा के 6 बाई 6 होने बाबत् सक्षम चिकित्साधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
12. वाहन चालक के रूप में अनुभव का प्रमाण पत्र।

नोट :– उपरोक्त सभी प्रलेख तथा प्रमाण पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

14. अन्य :–

1. आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाले प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के सभी मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवेगा।
2. आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
3. एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले पुरूष आवेदक एवं शदीशुदा ऐसे पुरूष से जिसकी पहली पत्नी जीवित हों, शादी करने वाली महिला आवेदक इस पद हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. विवाहित आवेदक, जिसने शादी के समय किसी भी प्रकार का दहेज लिया हो, वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। ऐसा आवेदक चाहे स्त्री हो या पुरुष।
5. उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थायी है एवं इन पदों की रिक्तियों को घटाया–बढ़ाया जा सकता है।
6. ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग व अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेखों, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी घोषित किया गया हैं, वो इस पद की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

एस.डी./–
(नाहरसिंह मीणा)
प्रभाराधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक/स्था./2014/ दिनांक : 15.07.2014

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
02. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ/सिरोही
03. श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाड़ा।
04. श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा
05. श्रीमान् न्यायाधीश, मोटरयान दुघर्टना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा
06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
07. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/कुशलगढ़
08. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/बागीदौरा/गढ़ी/घाटोल
09. अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गढ़ी/तलवाड़ा
11. जिला नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा।
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा।
13. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बांसवाड़ा।
14. कार्यालय प्रति।

एस.डी./–
(नाहरसिंह मीणा)
प्रभाराधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय : प्रभाराधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति, 2014 (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), बांसवाड़ा

वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप .

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम (मोटे अक्षरों में) ....
2. पिता/पति का नाम ....'
3. जन्म तिथि ....
4. राष्ट्रीयता ....
5. जाति ....
6. क्या आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का सदस्य है, यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें– ....
7. स्थायी पता मय मोबाईल नं. ....
....
....
8. निकटतम पुलिस स्टेशन ....
9.. चालक अनुज्ञप्ति नं. व वैधता की अवधि दिनांक ....
10. वजन ....
11. आंखो की दृष्टि चश्मा सहित/रहित ....
12. शैक्षणिक योग्यताएं :–

क.सं.	उत्तीर्ण परीक्षाएं	वर्ष	श्रेणी	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
1.				
2.				
3.				
4.				

13. वाहन चालन का अनुभव (विशिष्ठियों सहित) यदि हो तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
....
14. राज्य सेवा में नियुक्त है अथवा नहीं, यदि है तो विभागाध्यक्ष की स्वीकृति संलग्न करें।
....

दिनांक .... (आवेदक के हस्ताक्षर)
मय दिनांक व पता

घोषणा

मैं .... सत्यापित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान/पश्चात् उक्त सूचना असत्य पाई जाती है तो आवेदन निरस्त किया जाकर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक .... (आवेदक के हस्ताक्षर)

वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र :–

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
3. विशेष मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र
4. आरक्षण/आयु सीमा में छूट हेतु जाति प्रमाण पत्र।
5. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं हों।
6. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष से स्वीकृति पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
7. दोषसिद्धि नहीं होने बाबत् शपथ पत्र 10/– रूपये के स्टाम्प पर
8. दो से अधिक सन्तान न होने व दहेज न लेने के संबंध में शपथ पत्र 10/– रूपये के स्टाम्प पर
9. विवाह पंजीयन/विधवा/विधुर/तलाकशुदा के सबंध में प्रमाण पत्र अथवा 10/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र
10. भारी एवं हल्के वाहन भार (Heavy and Light weight vechile) का वैद्य अनुज्ञा–पत्र (Licence)
11. वाहन चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र
12. वजन एवं दृष्टि का चिकित्सा प्रमाण पत्र।